न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2020 (डूंगरपुर डिक्री)

1. रामु पिता सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. शंकर पिता सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती पूजी विधवा शंकर जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

2/2. मणीलाल पिता स्व. शंकर जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

2/3. जयन्तीलाल पिता स्व. शंकर जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

2/4. मणीलाल पिता स्व. शंकर जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

2/5. गौतम पिता स्व. शंकर जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

2/6. दिनेश पिता स्व. शंकर जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

2/7. श्रीमती मुन्ना पुत्री शंकर जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

3. हीरा पिता सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
4. वेला पिता सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती मणी पुत्री सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्रीमती सविता पुत्री सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती तकु पुत्री सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती हाकेर पुत्री सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
9. श्रीमती कली पुत्री सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
10. श्रीमती मंजु पुत्री सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
11. श्रीमती संतोष पुत्री सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:49 IST
Reason: SelfAttested

12. श्रीमती पार्वती बेवा सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मणीलाल पिता वेला वायती (बारोट), निवासी थाणा फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय डूंगरपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूगरपुर दिनांक 16.06.2020 प्र.सं. 110/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री एल.एस. चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री अल्लाहनूर मंसूरी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

3— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय **दिनांक 13—09—2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा थाणा में वादी स्वयं के कब्जे एवं खाते की आराजी नंबर 3811/764 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है, जिसे वादी ने गौरी शंकर पिता देवा शंकर पुरोहित से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24—05—2015 को क्रय की, जिसका नामान्तरकरण दिनांक 30—06—2015 को स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ, तब से वादी उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के कब्जे व स्वामित्व की आराजी नंबर 6806/764 होकर वादी की क्रय शुदा जमीन से लगती हुई है, जिससे प्रतिवादीगण विवाद करते हैं तथा वादी की भूमि में जबरन प्रवेश कर निर्माण करने पर आमादा हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादी की आराजी नंबर 3811/764 रकबा 5 बीघा में प्रवेश नहीं करें तथा किसी प्रकार का उत्पन्न नहीं करें। दौराने वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:49 IST
Reason: SelfAttested

यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण कर ले तो उसे अवैध घोषित कर तत्काल हटाया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 3 तनकियात कायम की एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16–06–2020 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–07–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अल्लाहनूर मंसूरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिस पर बहस सुनी गयी तथा प्रतिवादी शंकर की पेशी दिनांक 30–03–2020 को मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान की तामील में प्रकरण नियत किया गया। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पक्षकारान की शहादत ली गयी न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये, केवल मात्र आपत्ति कमिश्नर रिपोर्ट पर बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि [illegible]दी संवत् 2071 से 2074 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:49 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजी नंबर 3811/764 वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पूर्वाधिकारी गौरीशंकर के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा कैफियत में नामान्तरकरण संख्या 2809 दिनांक 30–06–2015 बिकाव से वादी मणीलाल खातेदार होना अंकित है। इसी प्रकार आराजी नंबर 3806/674 प्रतिवादी/अपीलान्टगण के नाम दर्ज है। दोनों में मध्य सीमा का विवाद होने से दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट कई बार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी मौका रिपोर्टो का अध्ययन कर प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:49 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

रामु पिता सेवा जोगी, निवासी थाणा फला जोगी, तह0 व जिला डूंगरपुर व अन्य बनाम मणीलाल पिता वेला वायती (बारोट) निवासी फला जोगी, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं...........06/2020.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी........ .....डूंगरपुर .... मुकाम...............मुवर्खे............16..............माह.............06............2022

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........13....माह........09.......सन् 2023 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी......श्री एल.एस. चुण्डावत....मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री अल्लानूर मंसूरी ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–2022 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........13.....माह.......09...........2023 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:49 IST
Reason: SelfAttested